14
राज्य विधान मंडल

भारत एक संघ राज्य है। इसका अर्थ यह होता है कि इसमें एक केन्द्रीय सरकार तथा कई राज्य सरकारें हैं। इसका अर्थ यह भी है कि केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों से अधिक शक्तिशाली है। आजकल भारतीय संघ में 28 राज्य हैं और प्रत्येक में एक-एक विधान मण्डल है। आप ग्यारहवें पाठ में, भारत की संसद, जो केन्द्रीय स्तर पर कानून बनाने वाली संस्था है, के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं। राज्य विधान मण्डल राज्य स्तर पर कानून बनाने वाली संस्था है। इस पाठ में आप राज्य विधान मण्डल की रचना, योग्यताएं, सदस्यों का निर्वाचन, शक्तियां तथा कार्य और विधान मण्डल के दोनों सदनों की शक्तियों का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे।

उद्‌देश्य

इस पाठ को पढ़ने के बाद आप

- विधान सभा तथा विधान परिषद की रचना का वर्णन कर पाएंगे;
- विधान मण्डल के सदस्यों की योग्यताएं बता पाएंगे;
- राज्य विधान मण्डल की शक्तियों एवं कार्यों की व्याख्या कर पाएंगे;
- दोनों सदनों के पारस्परिक संबंधों का विश्लेषण कर पाएंगे;
- बता पाएंगे कि विधान सभा विधान परिषद से अधिक शक्तिशाली है।

14.1 राज्य विधान मण्डल की संरचना

अधिकतर राज्यों के विधान मण्डल में राज्यपाल तथा विधान सभा होती है। इसका अर्थ यह है कि इन राज्यों में एक सदनीय विधायिका है। कई राज्यों में विधान मण्डल के दो सदन होते हैं- विधान सभा और विधान परिषद। जहां दो सदन होते हैं उसे द्विसदनीय विधायिका कहते हैं।

पाँच राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल हैं। विधान सभा को निचला सदन या लोकप्रिय सदन कहा जाता है। विधान परिषद को उपरी सदन कहते हैं। जिस प्रकार केन्द्रीय स्तर पर लोकसभा को अत्यंत शक्तिशाली बनाया गया है उसी प्रकार राज्यों में विधान सभा को शक्तिशाली बनाया गया है।

14.1.1 विधान सभा

प्रत्येक राज्य में एक विधान सभा है। यह राज्य की जनता का प्रतिनिधित्व करती है। विधान सभा के सदस्य सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। उनका निर्वाचन राज्य में पंजीकृत सभी वयस्क नागरिक मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है। 18 वर्ष या उससे उपर की आयु के सभी स्त्री और पुरुष मतदाता सूची में शामिल होने के योग्य हैं। वे राज्य विधान सभा के सदस्यों को चुनने के लिए मतदान करते हैं। सदस्य निर्वाचन क्षेत्रों के आधार पर निर्वाचित किए जाते हैं। प्रत्येक राज्य को उतने ही एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जाता है जितने सदस्य चुने जाने हैं। लोक सभा की तरह यहां भी कुछ स्थान अनुसूचित जातियों के लिए तथा कुछ स्थान अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित किए जाते हैं। यह उस राज्य में इन वर्गों की जनसंख्या पर निर्भर करता है।

राज्य विधान सभा का सदस्य बनने के लिए एक व्यक्ति में निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए:

- वह भारत का नागरिक हो;
- वह 25 वर्ष का हो;
- उस का नाम मतदाता सूची में होना चाहिए
- किसी लाभ के पद पर अथवा सरकारी पद पर कार्यरत न हो।

विधान सभा के सदस्यों की संख्या 500 से अधिक तथा 60 से कम नहीं हो सकती। किंतु बहुत छोटे राज्यों को न्यूनतम संख्या से भी कम सदस्य रखने की स्वीकृति दी गई है। जैसे गोवा की विधानसभा में केवल 40 सदस्य हैं। 2002 में उत्तरांचल को उत्तर प्रदेश में से अलग कर देने के बाद भी यह एक बहुत बड़ा राज्य है, इसलिए इसकी विधान सभा की सदस्य संख्या अब भी 403 हैं। यदि किसी राज्य की विधान सभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का उचित प्रतिनिधित्व न हो, तो राज्यपाल को यह अधिकार प्राप्त है कि वह इस समुदाय का एक सदस्य मनोनीत कर सके। लोकसभा की तरह यहां भी कुछ स्थान अनुसूचित जातियों व जनजातियों के लिए आरक्षित होते हैं। विधान सभा का कार्यकाल पांच वर्ष का होता है। परंतु मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल अवधि पूरा होने से पहले भी इसको भंग कर सकता है। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत यदि राष्ट्रपति किसी राज्य में संवैधानिक संकट की स्थिति में आपातकाल की घोषणा करे तो भी राष्ट्रपति विधान सभा को भंग कर सकता है। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होने पर संसद विधान सभा के कार्यकाल को एक बार में एक वर्ष तक बढ़ा सकती है।

14.1.2 अध्यक्ष (सभापति)

विधान सभा के सदस्य अपना सभापति निर्वाचित करते हैं जिसे अध्यक्ष कहा जाता है। अध्यक्ष सदन के बैठकों का सभापतित्व करता है एवं इसकी कार्यवाही को चलाता है। वह सदन का अनुशासन बनाए रखता है तथा सदस्यों को प्रश्न पूछने तथा बोलने की स्वीकृति प्रदान करता है। वह विधेयकों तथा अन्य प्रस्तावों पर मतदान कराता है तथा परिणाम घोषित करता है। किंतु मत समान होने की स्थिति में वह अपना निर्णायक मत दे सकता है। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष बैठकों का सभापतित्व करता है। उपाध्यक्ष भी सदस्यों द्वारा अपने में से ही चुना जाता है।

> यदि किसी विधेयक अथवा प्रस्ताव के पक्ष और विरोध में मत समान हों तो उसे टाई कहा जाता है। ऐसी परिस्थिति में टाई तोड़ने के लिए अर्थात गतिरोध समाप्त करने के लिए, अध्यक्ष अपना निर्णायक मत दे सकता है।

टिप्पणी

पाठगत प्रश्न 14.1

रिक्त स्थान भरिए

(क) भारतीय संघ में .... राज्य हैं। (18, 25, 28)

(ख) विधान सभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु ....वर्ष है। (21, 25, 30)

(ग) राज्यपाल...से एक सदस्य विधान सभा के लिए मनोनीत कर सकता है। (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आंग्ल-भारतीय समुदाय)

(घ) विधान सभा का कार्यकाल.....................................वर्ष है। (4, 5, 6)

(ड़) सदन में मतदान के समय टाई होने की स्थिति में...............................अपना निर्णायक मत दे सकता है। (राज्यपाल, मुख्यमंत्री, अध्यक्ष)

14.1.3 विधान परिषद

विधान परिषद राज्य विधायिका का उच्च सदन है। अधिकतर राज्यों में विधान परिषद नहीं हैं। बहुत कम राज्यों में द्विसदनीय विधायिका है। आजकल पांच राज्यों, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र तथा जम्मू एवं कश्मीर में विधान परिषद हैं जबकि 23 राज्यों में केवल एक सदन है अर्थात केवल विधान सभा। विधान परिषद ब्रिटिश काल की विरासत है। यदि किसी राज्य की विधान सभा जहां विधान परिषद नहीं है, अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से पारित करके द्वितीय सदन अर्थात विधान परिषद बनाने का प्रस्ताव संसद के पास भेजे, तो संसद उस स्थिति में विधान परिषद का निर्माण कर सकती है। इसी प्रकार यदि किसी राज्य में विधान परिषद है परंतु वे चाहते हैं कि इसे समाप्त कर दिया जाए तो संबंधित राज्य को विशेष बहुमत से एक प्रस्ताव पारित कर संसद को भेजना होता है। अब संसद एक प्रस्ताव पारित करेगी कि दूसरा सदन समाप्त कर दिया जाए। इसी तरीके से पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु तथा पश्चिम बंगाल से विधान परिषद समाप्त कर दी गई है। संविधान के अनुसार विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या विधान सभा की कुल सदस्य संख्या के एक तिहाई से अधिक नहीं होनी चाहिए परंतु यह संख्या कम से कम 40 होनी चाहिए। जम्मू तथा कश्मीर इस नियम का अपवाद हैं जहां परिषद की सदस्य संख्या केवल 36 है।

विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए:

- वह भारत का नागरिक हो;
- 30 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो;
- राज्य का पंजीकृत मतदाता हो;
- उसके पास कोई लाभ का पद न हो।

विधान परिषद आंशिक रूप से निर्वाचित तथा आंशिक रूप से मनोनीत होती है। अधिकतर सदस्य आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। विधान परिषद की रचना इस प्रकार है:

परिषद के एक तिहाई सदस्य विधान सभा के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं।

इसके एक तिहाई सदस्य एक निर्वाचक मण्डल द्वारा निर्वाचित होते हैं जिसमें नगर निगम, नगर परिषद, जिला बोर्ड तथा राज्य की अन्य स्थानीय शासन की संस्थाओं के प्रतिनिधि होते हैं।

कुल सदस्यों का बारहवां भाग राज्य के स्नातकों द्वारा निर्वाचित होता है जिन को स्नातक बने कम से कम तीन वर्ष हो चुके हों।

कुल सदस्यों का बारहवां भाग राज्य के उन अध्यापकों द्वारा निर्वाचित होता है जिनका अध्यापन का अनुभव कम से कम तीन वर्ष का हो तथा वे उच्च माध्यमिक या उससे ऊपर के स्तर के शैक्षणिक संस्थाओं में पढ़ाते हों।

शेष, लगभग छठा भाग राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ये वह लोग होते हैं जो साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी तथा सामाजिक क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्ति हों। केन्द्र में राज्यसभा की तरह, विधान परिषद भी एक स्थाई सदन है। यह कभी भंग नहीं होता है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष है। प्रत्येक दो वर्ष के पश्चात इसके एक तिहाई सदस्य सेवा-निवृत हो जाते हैं। सेवा-निवृत होने वाले सदस्य पुनः चुनाव लड़ सकते हैं। यदि किसी सदस्य के मरने से अथवा त्याग पत्र देने से कोई स्थान रिक्त होता है तो उसका चुनाव केवल बचे हुए कार्यकाल के लिए होता है।

14.1.4 विधान परिषद के सभापति

विधान परिषद का अध्यक्ष सभापति कहलाता है जिसे सदस्यों द्वारा ही चुना जाता है। विधान परिषद की कार्यवाही सभापति चलाता है। वह बैठकों की अध्यक्षता करता है और सदन में अनुशासन बनाए रखता है। सदस्य होने के नाते मताधिकार के अतिरिक्त गतिरोध की स्थिति में वह अपना निर्णायक मत भी दे सकता है। उसकी अनुपस्थिति में, उपसभापति सदन की अध्यक्षता करता है। उसका निर्वाचन भी सदस्यों में से उन्हीं के द्वारा किया जाता है।

14.1.5 विधान मण्डल के सत्र

राज्य विधान मण्डल का सत्र वर्ष में कम से कम दो बार अवश्य होता है और दोनों सत्रों के बीच छह महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। राज्य विधान मण्डल का सत्र राज्यपाल बुलाता है तथा स्थगित भी कर सकता है। वह विधान सभा अथवा दोनों सदनों को (यदि राज्य में विधान परिषद है) आम चुनाव के पश्चात पहले सत्र की प्रारम्भिक बैठक में और प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र के पहले दिन सम्बोधित करता है। इस सम्बोधन में सरकार की उन नीतियों की चर्चा होती है जिन पर विधान मण्डल में बहस होनी है। राज्य विधान मण्डल के सदस्यों के विशेषाधिकार संसद सदस्यों जैसे ही होते हैं।

पाठगत प्रश्न 14.2

रिक्त स्थान भरिए

(क) विधान परिषद की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु .... वर्ष है। (25, 30, 35)

(ख) विधान परिषद के सदस्यों का का कार्यकाल .... वर्ष है। (4,5, 6)

(ग) विधान परिषद के एक तिहाई सदस्य प्रत्येक.................................वर्ष के पश्चात सेवानिवृत हो जाते हैं। (2, 3, 4)

(घ) विधान परिषद के निर्माण अथवा समाप्त करने का अधिकार...............................को है।

(ड.) ....में द्विसदनीय विधायिका है। (पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश)

टिप्पणी

14.2 राज्य विधान मण्डल के कार्य एवं शक्तियां

14.2.1 कानून बनाने संबंधी कार्य

संसद की तरह, राज्य विधान मण्डल का कार्य भी कानून बनाना है। इसको राज्य सूची तथा समवर्ती सूची में वर्णित किसी भी विषय पर कानून बनाने का अधिकार है। संसद तथा राज्य विधायिका दोनों को समवर्ती सूची के किसी भी विषय पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। परंतु यदि एक ही विषय पर संसद द्वारा बनाए गए कानून और विधान मण्डल द्वारा बनाए गए कानून में विरोध हो, तो संसद द्वारा बनाया गया कानून माना जाएगा। विधेयक दो प्रकार के होते हैं, साधारण विधेयक तथा धन विधेयक। साधारण विधेयक दोनों में से किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है। परंतु धन विधेयक पहले विधान सभा में ही प्रस्तावित किया जा सकता है। दोनों सदनों से विधेयक पारित होने के पश्चात राज्यपाल के पास उसे स्वीकृति के लिए भेज दिया जाता है। राज्यपाल चाहे तो विधायक पुनर्विचार के लिए वापिस भेज सकता है परंतु यदि विधान मण्डल इसे पुनः पारित कर दे तो राज्यपाल को स्वीकृति प्रदान करनी पड़ती है। आप पढ़ चुके हैं कि यदि संसद का अधिवेशन न चल रहा हो और किसी कानून की नितांत आवश्यकता हो तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। इसी प्रकार विधानमण्डल के सत्र के न होने की स्थिति में, राज्यपाल भी किसी राज्य विषय के लिए अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश में कानून का बल होता है। जारी किए गए अध्यादेश को विधानमण्डल की बुलाई गयी बैठक में रखा जाता है। यह बैठक बुलाए जाने के छह सप्ताह बाद निष्प्रभावी हो जाती है यदि विधान मण्डल इसको इससे पूर्व अस्वीकार न कर दे।

14.2.2 वित्तीय शक्तियां

विधान मण्डल राज्य के वित्त पर नियंत्रण बनाए रखता है। कोई भी धन विधेयक पहले विधान सभा में प्रस्तावित किया जाता है। धन विधेयकों में सरकार द्वारा व्यय किए जाने वाले धन की स्वीकृति, करों को लगाने अथवा हटाए जाने संबंधी प्रस्ताव, तथा ऋण संबंधी प्रस्ताव आते हैं। ऐसे विधेयक मंत्री द्वारा राज्यपाल की पूर्व अनुमति से प्रस्तावित किए जाते हैं। धन विधेयक किसी सदस्य द्वारा निजी रूप में प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है। कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, यह निर्णय विधान सभा का अध्यक्ष देता है।

विधान सभा द्वारा धन विधेयक पारित होने के पश्चात विधान परिषद में भेज दिया जाता है जिसे 14 दिन के अंदर पारित करके या बिना पारित किए विधेयक वापस भेजना होता है। इस स्थिति में धन विधेयक दोनों सदनों द्वारा पारित माना जाता है। अब विधेयक को राज्यपाल के पास उसकी स्वीकृति के लिए भेज दिया जाता है। राज्यपाल स्वीकृति देने से मना नहीं कर सकता क्योंकि विधयेक प्रस्तावित करने से पूर्व उसकी अनुमति ले ली गई है।

14.2.3 कार्यपालिका पर नियंत्रण

संघ सरकार की तरह, राज्य विधायिका भी कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है। राज्य की मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधान सभा के प्रति उत्तरदायी होती है और जब तक उसे विधान सभा के बहुमत का समर्थन प्राप्त होता है मंत्रिपरिषद अपने पद पर बनी रहती है। इसे केवल तभी अपदस्थ किया जा सकता है जब विधान सभा इसके विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित करे अथवा किसी सरकारी विधेयक को रद्द करे। अविश्वास प्रस्ताव के अतिरिक्त प्रश्न तथा पूरक प्रश्न पूछकर, काम रोको प्रस्ताव द्वारा अथवा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव द्वारा विधायिका कार्यपालिका पर नियंत्रण बनाए रखती है।

14.2.4 चुनाव संबंधी कार्य

विधान सभा के सभी निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति का निर्वाचन करने के लिए निर्वाचक मंडल के सदस्य

होते हैं। इस प्रकार वे भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के चुनाव में अपनी हिस्सेदारी निभाते हैं। (पाठ संख्या 10 देखिए)। विधान सभा के सदस्य अपने-अपने राज्यों से राज्य सभा के लिए सांसदों का भी निर्वाचन करते हैं। जिन राज्यों में विधान परिषद है, वहां इसके एक तिहाई सदस्यों का निर्वाचन भी विधान सभा के सदस्य ही करते हैं। इन सभी निर्वाचनों में विधानसभा के सदस्य एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के आधार पर मतदान करते हैं।

14.2.5 संवैधानिक कार्य

आप भारतीय संविधान में संशोधन संबंधी प्रक्रिया के बारे में पढ़ चुके हैं। संघीय विषयों में संशोधन के लिए संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत तथा आधे से अधिक राज्यों का अभिसमर्थन होना चाहिए। अभिसमर्थन का प्रस्ताव राज्य विधान मण्डल द्वारा साधारण बहुमत से पारित किया जाता है। विधान मण्डल के अभिसमर्थन के बिना संविधान में किसी प्रकार संशोधन संभव नहीं है।

पाठगत प्रश्न 14.3

1. रिक्त स्थान भरिए:

(क) राज्य विधायिका..................................सूची में वर्णित विषयों पर कानून नहीं बना सकती।
(संघ, राज्य, समवर्ती)

(ख) धन विधेयक को विधान सभा में .... की पूर्व अनुमति से ही प्रस्तावित किया जा सकता है। (राष्ट्रपति, राज्यपाल,मुख्यमंत्री)

(ग) विधान परिषद को धन विधेयक...............................दिन के अंदर लौटाना होता है।
(14, 30, 90)

(घ) मंत्रिपरिषद तब तक अपने पद पर बना रहता है जब तक उसे ....का विश्वास प्राप्त है।
(राज्यपाल, विधान सभा, विधानपरिषद)

2. निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए।

(क) कौन पुष्टि करता है कि कोई विधेयक, धन विधेयक है अथवा नहीं?

(ख) राज्यों में अध्यादेश जारी करने का अधिकार किसे प्राप्त है?

(ग) राज्य विधान सभा के निर्वाचित सदस्य किस-किस के मतदान में भाग लेते हैं?

14.3 विधान मण्डल की शक्तियों की सीमाएं

राज्य विधान मण्डल द्वारा कानून बनाने की शक्ति कई प्रकार से सीमित कर दी गई है। जैसा कि उपर वर्णन किया जा चुका है कि राज्य विधान मंडल, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची के किसी भी विषय पर कानून बना सकता है। परंतु समवर्ती सूची के किसी विषय पर राज्य द्वारा बनाए गए कानून एवं केन्द्र द्वारा बनाए गए कानून के बीच टकराव की स्थिति में केंद्र में संसद द्वारा बनाया गया कानून लागू होता है। राज्य विधान मण्डल द्वारा पारित किसी विधेयक को अपनी स्वीकृति देने से पूर्व राज्यपाल उसे राष्ट्रपति के विचारार्थ भेज सकता है। उदाहरण के तौर पर, यदि किसी उच्च न्यायालय की शक्तियों को कम करने संबंधी प्रस्ताव हो तो ऐसा

विधेयक राष्ट्रपति के विचारार्थ भेजना नितांत आवश्यक है। कुछ अन्य मामलों में भी राज्य विधायिका में विधेयक प्रस्तावित करने से पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक है, जैसे- राज्य के अंदर अथवा अन्य राज्यों के साथ वाणिज्य तथा व्यापार की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने से संबंधित प्रस्ताव। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के पश्चात राज्य सूची के सभी विषयों पर कानून बनाने का अधिकार संसद को मिल जाता है, चाहे विधान मण्डल अस्तित्व में हो या नहीं। संवैधानिक संकट की स्थिति में अनुच्छेद 356 के अंतर्गत जब राज्य की लोकप्रिय सरकार गिर जाती है तो राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है। इस स्थिति में उस राज्य के लिए कानून बनाने का अधिकार आपातकाल के जारी रहने तक संसद के पास चला जाता है। अपना राष्ट्रीय दायित्व निभाने के लिए संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है। यदि राज्य सभा दो तिहाई बहुमत से प्रस्ताव पास कर दे कि राज्य सूची का कोई विषय राष्ट्रीय महत्व का है तो संसद उस पर साल भर के लिए कानून बना सकता है। साथ ही दो या दो से अधिक राज्यों के अनुरोध पर राज्य सूची के किसी विषय पर संसद कानून बना सकती है। मौलिक अधिकार भी राज्य विधान मण्डल की कानून निर्माण संबंधी शक्तियों को सीमित करते हैं। विधान मंडल ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती जिससे जन साधारण के अधिकारों को ठेस पहुंचती हो। यदि राज्य विधान मण्डल द्वारा बनाया गया कोई भी कानून संविधान के अनुरूप नहीं होता अथवा मौलिक अधिकारों का हनन करता है, तो उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय इसे रद्द कर सकता है।

14.4 विधान मण्डल के दोनों सदनों की तुलना

लोकसभा की तरह, विधान सभा भी अधिक प्रभावशाली सदन है। विधान सभा की तुलना में विधान परिषद की शक्तियां काफी कम हैं चाहे साधारण विधेयक का ही प्रश्न क्यों न हो। धन विधेयक के अतिरिक्त बाकी सभी विधेयकों के पारित करने में भी विधान परिषद की शक्तियां काफी कम हैं। विधान सभा तथा विधान परिषद की तुलनात्मक स्थिति इस प्रकार है:

14.4.1 साधारण विधेयक के संबंध में

संसद में यदि दोनों सदनों के बीच किसी साधारण विधेयक को लेकर सहमति न हो तो राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है और यदि वहां बहुमत से विधेयक पारित हो जाए, तो उसे दोनों सदनों से पारित समझा जाता है। परंतु संयुक्त बैठक की यह व्यवस्था राज्यों में नहीं है।

यद्यपि साधारण विधेयक विधान मण्डल के किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है तथापि दोनों सदनों की शक्तियां समान नहीं हैं। यदि कोई विधेयक विधान सभा से पारित होता है, तो उसे विचारार्थ विधान परिषद में भेज दिया जाता है। जब विधान परिषद बिना किसी संशोधन के इसे पारित कर देती है तो विधेयक राज्यपाल के पास उसकी स्वीकृति के लिए भेज देता है। यदि विधेयक परिषद द्वारा रद्द कर दिया जाता है अथवा विधेयक पर परिषद तीन महीने तक विचार न करे अथवा कुछ संशोधन करके विधेयक पारित कर दे जिससे विधान सभा सहमत न हो, तो विधान सभा उसी सत्र में या अगले सत्र में विधेयक को पुन: पारित कर सकती है। इसके पश्चात विधेयक फिर विधान परिषद को भेज दिया जाता है। यदि विधान परिषद एक महीने के अंदर विधेयक पारित कर के नहीं भेजती तो इसे दोनों सदनों से पारित माना जाता है और राज्यपाल की स्वीकृति के लिए भेज दिया जाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि विधान परिषद किसी विधेयक को अधिकतम चार महीने तक रोक सकती है।

14.4.2 वित्त विधेयक के संबंध में

लोक सभा की तरह कोई भी वित्त विधेयक पहले विधान सभा में रखा जाता है। यह विधान परिषद में प्रस्तावित नहीं किया जा सकता। विधान सभा अध्यक्ष यह प्रमाणित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक

है अथवा नहीं। विधान सभा से विधेयक पारित होने के पश्चात विधान परिषद को भेज दिया जाता है। विधान परिषद को इस पर चर्चा के लिए 14 दिन मिलते हैं। यदि परिषद विधेयक पारित कर दे तो इसे राज्यपाल के पास स्वीकृति के लिए भेज दिया जाता है। यदि परिषद द्वारा 14 दिन के अंदर विधेयक वापस नहीं भेजा जाता तो इसे परिषद द्वारा भी पारित माना जाता है। यदि परिषद विधेयक में कुछ परिवर्तन/संशोधन सुझाती है और विधान सभा को भेज देती है तो विधान सभा उन सुझावों को स्वीकार कर भी सकती है और नहीं भी। इसके पश्चात विधेयक राज्यपाल को उसकी स्वीकृति के लिए भेज दिया जाता है जिसे मानने के लिए वह बाध्य होता है।

14.4.3 कार्यपालिका पर नियंत्रण

राज्य मंत्रिपरिषद केवल विधान सभा के प्रति उत्तरदायी होती है और तब तक अपने पद पर बनी रहती है जब तक उसे विधान सभा के बहुमत का विश्वास प्राप्त रहता है। यद्यपि विधान परिषद के सदस्य प्रश्न पूछ सकते हैं, काम रोको या स्थगन प्रस्ताव रख सकते हैं अथवा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी ला सकते हैं तथापि विधान परिषद मंत्रिपरिषद को अपदस्थ नहीं कर सकती।

14.4.4 चुनाव संबंधी कार्य

केवल विधान सभा के निर्वाचित सदस्य ही राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग ले सकते हैं। वे निर्वाचक मण्डल का सदस्य होने के नाते मतदान कर सकते हैं। परंतु विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान नहीं कर सकते। सभी राज्यों में राज्य सभा के सदस्यों का निर्वाचन भी विधान सभा के सदस्य ही करते हैं, विधान परिषद के नहीं। उपरोक्त चर्चा से एक बात तो स्पष्ट हो जाती है कि विधान परिषद शक्तिहीन तथा प्रभावहीन सदन है। यह एक गौण सदन बन चुका है। इसीलिए अधिकतर राज्य एक सदनीय विधायिका के पक्ष में हैं। परंतु परिषद बिल्कुल दिखावा मात्र भी नहीं है। यह विधान सभा द्वारा जल्दबाजी में लाए गए विधेयकों पर अंकुश का कार्य करती है और विधेयकों की कमियों तथा कमजोरियों को उजागर करती है। यह विधान सभा के बोझ को भी कम करती है क्योंकि कई विधेयक विधान परिषद में प्रस्तावित किए जाते हैं।

आपने क्या सीखा

राज्य विधायिका राज्यपाल, विधान परिषद तथा विधान सभा से मिलकर बनती है। अधिकतर राज्यों में एक सदनीय विधान मण्डल है। ये विधान मण्डल राज्यपाल तथा विधान सभा से मिलकर बनता है। किसी राज्य में विधान परिषद का निर्माण या उसे समाप्त करने का अधिकार संसद को प्राप्त है। विधान परिषद आंशिक रूप से अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होती है तथा कुछ भाग मनोनीत किया जाता है। यह राज्य सभा की तरह स्थायी सदन है जो कभी भी भंग नहीं होता। इस के सदस्यों का कार्यकाल छह वर्ष होता है। प्रत्येक दो वर्ष के पश्चात एक तिहाई सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं।

विधान परिषद की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष तथा विधान सभा के लिए 25 वर्ष है। विधानसभा के सदस्य जनता द्वारा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। इन का कार्यकाल पांच वर्ष होता है। परंतु मंत्रिपरिषद की सलाह पर इसे अवधि पूरी होने से पहले भी भंग किया जाता है। संवैधानिक संकट की स्थिति में, मंत्रिपरिषद को राष्ट्रपति चाहे तो इसे भंग कर सकता है। राज्य विधायिका के कार्यों में कानून बनाना, कार्यपालिका तथा वित्त पर नियंत्रण बनाए रखना, चुनाव संबंधी तथा संवैधानिक दायित्व निभाना शामिल है।

विधान सभा की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। साधारण विधेयक, धन विधेयक, कार्यपालिका पर नियंत्रण और राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी कार्यों में विधान परिषद की शक्ति विधान सभा से कम है।

पाठांत प्रश्न

1. विधान सभा के गठन एवं रचना का वर्णन कीजिए।

2. राज्य विधान मण्डल की शक्तियों एवं कार्यों का वर्णन कीजिए।

3. राज्य विधायिका की शक्तियों की सीमाओं का उल्लेख कीजिए

पाठगत प्रश्नों के उत्तर

14.1

(क) 28 राज्य

(ख) 25 राज्य

(ग) आंग्ल-भारतीय समुदाय

(घ) 5 वर्ष

(ङ) अध्यक्ष

14.2

(क) 30 वर्ष

(ख) 6 वर्ष

(ग) 2 वर्ष

(घ) संसद

(ङ) उत्तर प्रदेश

14.3

1. (क) संघ

(ख) राज्यपाल

(ग) 14 दिन

(घ) विधान सभा

2. (क) विधान सभा का अध्यक्ष

(ख) राज्यपाल

(ग) राष्ट्रपति, राज्यसभा के सदस्य तथा विधान परिषद के 1/3 सदस्य।

पाठांत प्रश्नों के लिए संकेत

1. खण्ड 14.1.1 देखें

2. खण्ड 14.2 देखें

3. खण्ड 14.3 देखें